रिपोर्ट का सारांश

शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु टैक्सी नीति के प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर गठित कमिटी की रिपोर्ट

- शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु टैक्सी नीति संबंधी दिशानिर्देशों को प्रस्तावित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित कमिटी ने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने शहरों में टैक्सी परमिट से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की और टैक्सी नीति से संबंधित दिशानिर्देश प्रस्तावित किए। ये दिशानिर्देश राज्यों को टैक्सी संचालन से संबंधित रेगुलेशन बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करेंगे। कमिटी के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :

- **कारों की बढ़ती संख्या:** कमिटी ने टिप्पणी की कि भारतीय शहरों में ट्रैफिक की समस्या तेजी से बढ़ रही है जिससे हर वर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। इसके प्रमुख कारणों में से एक है, भारतीय शहरों में कारों की अनियंत्रित होती संख्या। परिवहन के विश्वसनीय और सुविधाजनक विकल्पों की कमी के कारण देश में कार खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह स्थिति तब ऐसी हुई है, जब देश के केवल 5% लोगों के पास कार है। अगर कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भविष्य में यह समस्या और विकट रूप ले सकती है। शहरों में भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए कमिटी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव दिया है जिससे निजी वाहनों के मालिकों के बीच वाहनों को साझा करने को बढ़ावा दिया जा सके।

- **टैक्सी परमिट** : कमिटी ने टिप्पणी की कि अधिकतर शहरों में टैक्सी परमिट 1998 के बाद से जारी नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन परमिटों से जुड़ी अनेक शर्तें तकनीक के लिहाज से आउटडेटेड यानी पुरानी हो गई हैं। इससे बाजार में टैक्सियों का प्रवेश बाधित होता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्यों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी टैक्सियों को परमिट देने का रास्ता साफ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यों को ऑनलाइन परमिट देना चाहिए। साथ ही, कुछ शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से निजी वाहनों को व्यावसायिक वाहनों में बदलने को भी मंजूरी देनी चाहिए।

- **एग्रीगेटर** : एक एग्रीगेटर ऐसा डिजिटल मध्यस्थ या मार्केट प्लेस होता है जिसके जरिए परिवहन के लिए कोई यात्री एक ड्राइवर से कनेक्ट होता है। एग्रीगेटर सभी प्रकार के वाहनों को एग्रीगेट कर सकता है। लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन सभी रेगुलेशनों का पालन करता है। उनकी सेवाएं शहर के भीतर और शहर के बाहर, दोनों जगह संचालित की जा सकती हैं।

- कमिटी ने सुझाव दिया कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था से एग्रीगेटर के ऐप को वैधता प्राप्त होनी चाहिए। जिस राज्य में एग्रीगेटर अपनी सेवाएं दे रहा है, वहां उसकी भौतिक उपस्थिति भी होनी चाहिए। उन्हें यात्रियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करना चाहिए। यात्रियों के एलर्ट कॉल से निपटने के लिए शिकायत निस्तारण तंत्र और आपात प्रतिक्रिया केंद्र भी प्रदान किया जाना चाहिए।

- **टैक्सियों को अनुमति** : कमिटी ने सुझाव दिया कि शहरी टैक्सियों को स्ट्रीट हेलिंग टैक्सियों (सड़क से ही यात्रियों को लेने वाली टैक्सियां) के तौर पर काम जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उन्हें एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों के साथ काम करने की भी अनुमति होनी चाहिए। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों को स्ट्रीट हेलिंग टैक्सियों के अतिरिक्त दूसरे सभी उद्देश्यों के लिए ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है। इन टैक्सियों को वैध परमिट, बीमा,

प्राची मिश्रा
prachee@prsindia.org

30 दिसंबर, 2016

फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट हमेशा अपने साथ रखने होंगे। टैक्सियों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) भी फिट होने चाहिए।

- **टैक्सियों के प्रकार :** कमिटी ने सुझाव दिया कि टैक्सियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है : इकोनॉमी (जिनकी लंबाई चार मीटर से कम हो) और डीलक्स (जिनकी लंबाई चार मीटर से अधिक हो)। डीलक्स टैक्सियों का टैरिफ रेगुलेटेड नहीं होना चाहिए और इसे बदलते बाजार के अनुसार निर्धारित होना चाहिए।
- **टैक्सियों का संचालन** : कमिटी ने सुझाव दिया कि टैक्सियों को चलाना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक न हो, इसके लिए सभी अनुपयुक्त प्रतिबंधों को लगाने से बचा जाना चाहिए। टैक्सी ऑपरेटरों (एग्रीगेटर सहित) पर फ्लीट (इकोनॉमी या डीलक्स कारों वाला) को बनाने से संबंधित प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।